

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1734
जिसका उत्तर 05 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रदूषित नदियां, बावड़ी, तालाब

1734. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अशोधित मल-जल, जल और उद्योगों तथा होटलों से निकलने वाले अपशिष्ट को सीधे नदियों और नालों में बहाने के कारण बड़े पैमाने पर नदियां प्रदूषित हो रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो राजस्थान के जिलों, विशेषकर झुंझुनू जिले में कुल कितनी नदियां, मल-जल, तालाब और छोटी नदियां प्रदूषित हुई हैं;
- (ग) उक्त नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त योजना में शामिल की गई छोटी नदियों और नालों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): देश में नदियां मुख्य रूप से शहरों/कस्बों से अनुपचारित और आंशिक रूप से उपचारित सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्राव के कारण अपने संबंधित कैचमेंट में प्रदूषित और संदूषित होती हैं। प्रदूषण के नॉन-प्वइंट स्रोत जैसे कटाव, रॉकस का ट्रांसपोर्टेशन और सेडीमेंटेशन, मृदा, एगरिकल्चर रनऑफ, खुले में शौच और ठोस अपशिष्ट स्थलों से रनऑफ आदि भी नदियों के प्रदूषण में योगदान देते हैं।

वर्ष 2022 में प्रकाशित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सूचना के अनुसार, देश में कुल 603 नदियों की निगरानी की गई, और यह पाया गया कि 279 नदियों के कुल 311 नदी खंडों सहित राजस्थान के 14 प्रदूषित नदी खंड प्रदूषित थे। राजस्थान में चिन्हित प्रदूषित नदी खंडों की सूची अनुलग्नक में दी गयी है।

(ग) और (घ): नदियों और अन्य जल निकायों में बहिस्त्राव के निर्वहन से पूर्व निर्धारित शर्तों के अंतर्गत सीवेज और औद्योगिक बहिस्त्राव का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करना राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीक सहायता प्रदान की जाती है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा बेसिन में आने वाली गंगा और अन्य नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना “नमामि गंगे” चलाया जा रहा है। अन्य नदियों के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों की सहायता के लिए चलाया जा रहा है।

अब तक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में, छोटी नदियों नामतः मणिपुर में नामबुल, सिक्कीम में रानी चूंआं, गोवा में जुआरी आदि सहित 57 नदियों में 8931.49 करोड़ रुपये की संस्वीकृत लागत से देश के 17 राज्यों को शामिल किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2941 मीलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम 30 नदियों सहित उत्तराखंड में बिडाल, उत्तर प्रदेश में दाहमोल, बिहार में कुली, झारखंड में दामोदर जैसी छोटी नदियों को शामिल करती है। कुल 484 परियोजनाओं सहित 6255 एमएलडी की सीवेज उपचार के लिए 203 परियोजनाएं और 5249 कि.मी. के सीवर नेटवर्क को 39604 करोड़ रुपये की लागत से संस्वीकृत किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप, अब तक, 3327 एमएलडी के सीवेज उपचार क्षमता का सृजन किया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत, जोधपुर राजस्थान के जोजारी नदी में प्रदूषण कम करने के लिए कुल 172.60 करोड़ रुपये की कुल लागत से चार (04) परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ सीवेज नेटवर्क से 40 मीलियन लीटर प्रतिदिन की सीवेज उपचार क्षमता की परिकल्पना की गई है। झुनझुनु जिला से संबंधित राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

“राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रदूषित नदियां, बावड़ी, तालाब” विषय पर दिनांक 05.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1734 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

नवंबर, 2022 में सीपीसीबी द्वारा चिन्हित राजस्थान में 14 प्रदूषित नदी खंडों की सूची

क्र.सं.	नदियों के नाम	प्रदूषित नदी खंड/स्थान	आंशिकन की गई अधिकतम बीओडी	प्राथमिकृत वर्ग
1	बनास	बस्सी से बीसलपुर	35.7	I
2	बांदी	पाली के साथ	94.0	I
3	जवाई	जवाई बांध पर	11.7	III
4	गुवार्डी	गुवार्डी के साथ	9.5	IV
5	कानोटा	सुमेल के साथ	9.5	IV
6	खारी	केलवाड़ा के साथ	7.6	IV
7	कोठारी	भीलवाड़ा के साथ	6.2	IV
8	बेरेच	नागरी के साथ	3.9	V
9	भंवर सेमिला	भंवर सेमला के साथ	3.8	V
10	चंबल	केशोरायपट्टन के साथ और पाली (सवाई माधोपुर) के साथ	5.7	V
11	गंभीरी	चित्तौड़गढ़ के साथ	4.9	V
12	लूनी	रणकपुर के साथ	3.8	V
13	माही	बांसवाड़ा के साथ	5.0	V
14	पिपलाड	पिपलाद बांध में	3.2	V

बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड स्तर पर आधारित 05 प्राथमिकृत वर्गों में प्रदूषित नदी खंडों को वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित है:

श्रेणी	मी.ग्रा/लीटर में बीओडी
प्राथमिकता I	बीओडी 30 मिलीग्राम/लीटर से अधिक
प्राथमिकता II	बीओडी 20-30 मिलीग्राम/लीटर के बीच
प्राथमिकता III	बीओडी 10-20 मिलीग्राम/लीटर के बीच
प्राथमिकता IV	बीओडी 6-10 मिलीग्राम/लीटर के बीच
प्राथमिकता V	बीओडी 3-6 मिलीग्राम/लीटर के बीच